जिला गव्य विकास कार्यालय, गढ़वा

–: पशुपालकों के लिए सूचना :–

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (गव्य विकास) झारखण्ड, राँची के पत्रांक 09 (रा0), दिनांक 26.08.2016 के आलोक में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी ऊपरी भूमि में चारा विकास योजना अन्तर्गत आधा एकड़ तथा एक एकड़ भूखण्ड पर निम्नलिखित बहुवर्षीय हरा चारा उत्पादन के लिए प्रगतिशील दुग्ध उत्पादकों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है :

(राशि रू0 में)

क्र० सं०	कार्य विवरण	बहुवर्षीय नेपियर घास का उत्पादन		सहजन चारा उत्पादन		कुल योग
1	भूखण्ड साईज	आधा एकड़	एक एकड़	आधा एकड़	एक एकड़	-
2	प्रति इकाई लागत	60,000	1,00,000	37,000	71,000	-
3	अनुदान प्रतिशत	75%	50%	75%	50%	-
4	कुल इकाई (सं0)	500	160	500	155	-
5	कुल परियोजना लागत	3,00,00,000	1,60,00,000	1,85,00,000	1,10,05,000	7,55,05,000
	कुल अनुदान राशि :	**2,25,00,000**	**80,00,000**	**1,38,75,000**	**55,02,500**	**4,98,77,500**

उपर्युक्त योजनाओं का लाभ लेने हेतु इच्छुक दुग्ध उत्पादक अपने संबंधित जिला गव्य विकास कार्यालय, सोनपुरवा, गढ़वा से निःशुल्क आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर वांछित सूचनाएँ भर कर जिला गव्य विकास पदाधिकारी को दिनांक 10.12.2016 तक समर्पित करेंगे। इन योजनाओं का लाभ लेने हेतु कृषि विभाग द्वारा अधिष्ठापित सिंगल विण्डो सेन्टर के माध्यम से भी आवेदन दिया जा सकता है।

योजना अन्तर्गत देय लाभ निम्नलिखित शर्तों पर उपलब्ध करायी जायेगी :

1. लाभुकों के चयन में योजना बनाओ अभियान के लाभुकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. इस योजना का कार्यान्वयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।
3. इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के कार्यक्षेत्र में कार्यरत/चिन्हित दूध पथों पर अवस्थित गाँवों में क्रियान्वित किया जायेगा।
4. दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों में दूध आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादक सदस्य, दुधारू मवेशी वितरण के लाभुक तथा कृत्रिम गर्भाधान कराने वाले ग्रामीण पशुपालकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. लाभुकों के चयन में ग्राम पंचायत की अनुशंसा अनिवार्य होगी।
6. लाभुक अंशदान की राशि के लिये लाभुक के द्वारा बैंक ऋण अथवा स्वयं के पास उपलब्ध निधि का उपयोग किया जायेगा।
7. इस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न मदों के तहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु चयनित लाभुकों द्वारा इस आशय का घोषणा/एकरारनामा पत्र हस्ताक्षरित किया जायेगा कि उनके द्वारा उत्पादित Surplus दूध की आपूर्ति यथासम्भव झारखण्ड मिल्क फेडरेशन/सम्बन्धित जिला दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में उनके नियंत्रणाधीन संचालित दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों को की जायेगी।

8. इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभुकों को दुधारू पशु प्रबंधन एवं पशु पोषण तथा हरा चारा उत्पादन का अल्प प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

9. आम सूचना में निर्धारित लक्ष्य राज्य स्तर पर है।

10. इस सूचना को गढ़वा जिला के वेबसाईट http://www.garhwa.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

लाभुकों का अन्तिम रूप से चयन जिला स्तर पर उपायुक्त गढ़वा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

23/11/2016

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
गढ़वा।